न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2017/386

1. घींसी बाई पुत्री स्व0 चतरा पत्नी श्री गेन्दीलाल जाति लश्करी हाल निवासी नयानोहरा तहसील लाडपुरा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. फूलचन्द पुत्र गेन्दीलाल जाति लश्करी निवासी नया नोहरा कोटा ।
   1/2. रामरतन पुत्र गेन्दीलाल जाति लश्करी निवासी नया नोहरा कोटा ।
   1/3. शांति बाई पुत्री गेन्दीलाल पत्नी पांचूलाल निवासी किशनपुरा तकिया उर्फ नयागॉव तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. पन्ना लाल गोद पुत्र स्व0 चतरा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. बिशनी बाई बेवा स्व0 पन्नालाल जाति लश्करी
   2/2. कजोडलाल पुत्र स्व0 पन्नालाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/2/1. सुनील
   2/2/2. अनिल
   2/2/3. सत्यनारायण पिसरान स्व0 कजोडलाल जाति लश्करी निवासीगण ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   2/2/4. मीना पुत्री स्व0 कजोडलाल जाति लश्करी निवासी ग्राम गंगापुर तहसील कनवास जिला कोटा ।

––अपीलान्ट

बनाम

1. प्रभूलाल पुत्र मांग्या जाति लश्करी निवासी भीमपुरा तहसील लाडपुरा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. बिहारी लाल
   1/2. राजू बाई
   1/3. मनोज कुमार पिसारान स्व0 प्रभूलाल जाति लश्करी निवासी भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. मोडूलाल पुत्र श्री मांग्या जाति लश्करी निवासी ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. सुगना बाई
   2/2. मन्नी बाई
   2/3. मनभरबाई
   2/4. चेतन प्रकाश
   2/5. बृजमोहन पिसरान स्व0 श्री मोडूलाल जाति लश्करी निवासीगण ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. किशन लाल पुत्र श्री मांग्या जाति लश्करी निवासी ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   3/1. कैलाश चन्द पुत्र स्व0 श्री किशन लाल जाति लश्करी निवासी ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

3/2. जोगिन्द्रा बाई पुत्री स्व0 किशनलाल जाति लश्करी (मृतक) जरिये कायमुकामान :–
3/2/1. रवि
3/2/2. सागर
3/2/3. रामावतार
3/2/4. मालती पिसरान हरीराम जाति लश्करी निवासीगण रामनगर कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3/3. मनोहरबाई पुत्री स्व0 किशनलाल जाति लश्करी निवासी ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3/4. निर्मला बाई पुत्री स्व0 किशनलाल जाति लश्करी निवासी ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री उत्तम चन्द खण्डेलवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामकिशन वर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्टगण की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 30.05.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.08.1992 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 53 के अन्तर्गत वाद ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 161 रकबा 1.46 हैक्टर, खसरा नम्बर 222 की रकबा 2.58 हैक्टर, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 252 रकबा 0.51 हैक्टर, खसरा नम्बर 722/1005 की रकबा 0.04 हैक्टर कुल 5.01 हैक्टर आराजी के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता चतरा जी तथा प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 के पिता मांग्या जी के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही थी जिसमें दोनों का बराबर–बराबर हिस्सा था । वादग्रस्त आराजी में चतरा जी का 1/2 हिस्सा था । चतरा जी ने अपने जीवनकाल में रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 25.04.1990 को निष्पादित की । स्व0 चतरा जी ने अपने जीवनकाल में वादी कम 02 पन्ना लाल को गोद ले लिया था तब से ही वादी कम 02 बहैसियत गोदपुत्र निवास करता चला आ रहा है । प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 का स्व0 चतरा जी के हिस्से की भूमि से किसी प्राकर का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादी को स्व0 चतरा जी के

हिस्से 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी में उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करें और न अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. परीक्षण न्यायालय में पक्षकारान द्वारा दिनांक 07.08.1992 को लिखित राजीनामा पेश किया और राजीनामा अनुसार वाद डिक्री करने का कथन किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने उक्त राजीनामा को दिनांक 07.08.1992 तस्दीक किया ।

6. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 21.08.1992 के द्वारा बरूए राजीनामा डिक्री करने का आदेश पारित किया ।

7. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.08.1992 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत लिखित राजीनामा पर अपीलान्टगण के अंगूठा निशानी लगावा ली जबकि अपीलान्टगण को कम भूमि दी गई है । उक्त राजीनामा छल, कपट एवं धोखाधडी करते हुए निष्पादित किया गया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.08.1992 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में राजीनामा कपटपूर्वक करवाया गया है जिसकी अपीलान्टगण को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 12.10.2016 को रेस्पोडेन्ट 2–3 दलालों को लेकर अपीलान्टगण के कब्जे वाली भूमि पर आये और कहने लगे कि अपीलान्टगण के कब्जे वाली भूमि में से 0.51 हैक्अर भूमि रेस्पोडेन्टगण की है । अपीलान्टगण को परीक्षण न्यायालय ने केवल मात्र 1.99 हैक्टर भूमि ही दी है । उक्त जानकारी प्राप्त होते ही अपीलान्टगण ने नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 17.10.2016 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

9. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में अपीलान्टगण वादी ने वादग्रस्त आराजी में अपीलान्टगण का 1/2 हिस्सा निहित होने से उन्हें 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करने का वाद प्रस्तुत किया था । दिनांक 07.08.1992 को परीक्षण न्यायालय में तथाकथित राजीनामा पेश किया जिसमें आधार पर परीक्षण न्यायालय ने निर्णय पारित कर दिया । उक्त राजीनामे के अनुसार वादीगण अपीलान्ट के हिस्से में खसरा नम्बर 252 की रकबा 0.51 हैक्टर, खसरा नम्बर 161 में से 0.46 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 722/1005 की रकबा 0.04 हैक्टर में से 0.02 हैक्टर उत्तर की कुल 1.99 हैक्टर भूमि देने के आदेश पारित किये और रेस्पोडेन्ट को 3.02 हैक्टर भूमि दी गई है जबकि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट

का वादग्रस्त आराजी में 1/2 – 1/2 हिस्सा निहित था । परीक्षण न्यायालय को अपीलान्टगण एवं रेस्पोडेन्टगण को 1/2 – 1/2 हिस्से अनुसार विभाजन किया जाना चाहिए था । अपीलान्टगण को तथाकथित राजीनामा न्यायालय में प्रस्तुत करने की कोई जानकारी नहीं थी । सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.08.1992 निरस्त फरमाया जावे। उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1991 पेज 526, आरआरडी 1991 पेज 218, एआईआर 1987 पेज 1353, आरएलडब्ल्यू 2013 (1) पेज 268, आरएलआर 1998 (2) पेज 301, आरआरडी 1986 पेज 187, आरआरडी 1986 पेज 666 उद्धरत की ।

11. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील काफी विलम्ब से पेश की है और विलम्ब के कोई समुचित कारण भी दर्शित नहीं किये हैं । वादीगण अपीलान्ट ने लिखित राजीनामा पर अंगूठा निशानी की है और परीक्षण न्यायालय ने उक्त प्रस्तुत लिखित राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किया है । राजीनामा के आधार पर पारित निर्णय एंव डिक्री की अपील मेन्टेनेबल पोषनीय नहीं है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट अवधि बाधित होने एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में आरआरटी 2002 (2) पेज 1337, आरआरटी 2001 (2) पेज 1014, आरआरटी 2002 (1) पेज 33, आरआरटी 2014 (1) पेज 525, आरआरटी 2004 (1) पेज 576, आरआरटी 2015 (1) पेज 278 उद्धरत की ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया । वादीगण अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में हक घोषणा एवं विभाजन का वाद प्रस्तुत किया तथा वादग्रस्त आराजी में स्वयं को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करने की प्रार्थना की । पक्षकारान द्वारा दिनांक 07.08.1992 को लिखित राजीनामा प्रस्तुत किया और लिखित राजीनामा अनुसार वाद डिक्री करने का कथन किया गया । परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत लिखित राजीनामे का अवलोकन किया । **'उक्त राजीनामे के बिन्दु संख्या 01 में अंकित किया है कि वादीगण के हिस्से में खसरा नम्बर 252 की 0.51 हैक्टर व खसरा नम्बर 161 की रकबा 1.46 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 722/1005 की 0.04 एयर बाडा में से 0.02 एयर बाडा उत्तर की और का आया है जो वादीगण के कब्जे व काश्त में है । उक्त भूमि स्व0 चतरा के हिस्से की भूमि है जिसको वादीगण अपने खाते दर्ज कराने के अधिकारी हैं । प्रतिवादीगण के हिस्से में खसरा नम्बर 222 की रकबा 2.58 हैक्टर, खसरा नम्बर 251 की रकबा 0.42 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 722/1005 की रकबा 0.04 एयर खेडा बाडा में से आधा बाडा 0.02 एयर दक्षिण की ओर का आया है जो प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में है जिसका प्रतिवादीगण खातेदार है'** । परीक्षण न्यायालय ने उक्त राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किया है । राजीनामा पर वादीगण अपीलान्ट के अंगूठा निशानी हैं । उक्त लिखित राजीनामे के पृष्ठ भाग पर अंकित अनुसार अपीलान्ट की पहचान विद्वान् अभिभाषक श्री मोहन मेडतवाल ने की है तथा प्रतिवादी की पहचान विद्वान् अभिभाषक श्री कल्लूखॉ कादरी द्वारा की गई है । यदि अपीलान्टगण उक्त राजीनामा से सहमत नहीं थे तो उन्हें परीक्षण न्यायालय में राजीनामा पर आपत्ति प्रस्तुत करनी चाहिए थी । अतः उक्त परिस्थिति में

राजीनामा के आधार पर पारित निर्णय की अपील न्यायालय हाजा द्वारा स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है ।

13. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.08.1992 के विरूद्ध वर्ष 2016 में न्यायालय हाजा में पेश की है । इस प्रकार उक्त अपील लगभग 23–24 वर्ष के विलम्ब से पेश की है और विलम्ब के समुचित एवं संतोषप्रद कारण दर्शित नहीं किये हैं क्योंकि परीक्षण न्यायालय में वादीगण अपीलान्ट ने राजीनामे पर अंगूठा निशानी की है जिससे प्रतीत होता है कि उन्हें परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की जानकारी प्राप्त थी । ऐसी स्थिति में अपीलान्टगण द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं है । अपीलान्टगण ने लिखित राजीनामे पर अंगूठा निशानी की है । अपीलान्टगण द्वारा विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वे संतोषप्रद नहीं होने विलम्ब अवधि क्षम्य किये जाने योग्य नहीं है।

14. हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया । उक्त नजीर प्रस्तुत अपील में चस्पा नहीं होती हैं क्योंकि नजीरों के तथ्य एवं परिस्थितियॉ अलग हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अवधि बाधित होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.08.1992 बहाल रखा जाता है ।

16. निर्णय आज दिनांक 30.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2017/386

1. घींसी बाई पुत्री स्व0 चतरा पत्नी श्री गेन्दीलाल जाति लश्करी हाल निवासी नयानोहरा तहसील लाडपुरा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. फूलचन्द पुत्र गेन्दीलाल जाति लश्करी निवासी नया नोहरा कोटा ।
   1/2. रामरतन पुत्र गेन्दीलाल जाति लश्करी निवासी नया नोहरा कोटा ।
   1/3. शांति बाई पुत्री गेन्दीलाल पत्नी पांचूलाल निवासी किशनपुरा तकिया उर्फ नयागॉव तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. पन्ना लाल गोद पुत्र स्व0 चतरा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. बिशनी बाई बेवा स्व0 पन्नालाल जाति लश्करी
   2/2. कजोडलाल पुत्र स्व0 पन्नालाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/2/1. सुनील
   2/2/2. अनिल
   2/2/3. सत्यनारायण पिसरान स्व0 कजोडलाल जाति लश्करी निवासीगण ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   2/2/4. मीना पुत्री स्व0 कजोडलाल जाति लश्करी निवासी ग्राम गंगापुर तहसील कनवास जिला कोटा ।

––अपीलार्थी

बनाम

1. प्रभूलाल पुत्र मांग्या जाति लश्करी निवासी भीमपुरा तहसील लाडपुरा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. बिहारी लाल
   1/2. राजू बाई
   1/3. मनोज कुमार पिसारान स्व0 प्रभूलाल जाति लश्करी निवासी भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. मोडूलाल पुत्र श्री मांग्या जाति लश्करी निवासी ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. सुगना बाई

2/2. मन्नी बाई
2/3. मनभरबाई
2/4. चेतन प्रकाश
2/5. बृजमोहन पिसरान स्व0 श्री मोडूलाल जाति लश्करी निवासीगण ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

3. किशन लाल पुत्र श्री मांग्या जाति लश्करी निवासी ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
3/1. कैलाश चन्द पुत्र स्व0 श्री किशन लाल जाति लश्करी निवासी ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3/2. जोगिन्द्रा बाई पुत्री स्व0 किशनलाल जाति लश्करी (मृतक) जरिये कायमुकामान :–
3/2/1. रवि
3/2/2. सागर
3/2/3. रामावतार
3/2/4. मालती पिसरान हरीराम जाति लश्करी निवासीगण रामनगर कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3/3. मनोहरबाई पुत्री स्व0 किशनलाल जाति लश्करी निवासी ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3/4. निर्मला बाई पुत्री स्व0 किशनलाल जाति लश्करी निवासी ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

––प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.08.1992 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एंव कार्यपालक दण्डनायक (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा ।

वाद संख्याः 209/दावा/1992

1. घींसी बाई पुत्री स्व0 चंतरा पत्नी गेंदी लाल जाति लश्करी हाल निवासी नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. पन्ना लाल गोद पुत्र चतरा जाति लश्करी निवासी भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

–––वादी

बनाम

1. प्रभूलाल आत्मज मांग्या जाति लश्करी ।
2. मोडू लाल आत्मज मांग्या जाति लश्करी ।
3. किशन लाल आत्मज मांग्या जाति लश्करी निवासीगण भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.08.1992 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 30.05.2022 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री उत्तम चन्द खण्डेलवाल एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री रामकिशन वर्मा के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट अवधि बाधित होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.08.1992 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 30.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा